



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 21, 2015/ आश्विन 29, 1937

No. 283]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 21, 2015/ ASVINA 29, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली 21 अक्टूबर, 2015

**विषय : बंगलादेश और नेपाल के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में**

**सं. 14/19/2015 -डीजीएडी .—**यतः इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन (आईजेएमए) (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष **बंगलादेश और नेपाल** (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) **के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "जूट उत्पाद"** (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

**घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति**

3. यह आवेदन विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादकों की ओर से इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया है। भारत में विचाराधीन उत्पाद के ऐसे 34 उत्पादक हैं जो आईजेएमए के सदस्य हैं। 15 भारतीय उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से याचिका का समर्थन किया है और क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है। इसके अलावा 14 कंपनियों ने याचिका का समर्थन किया है। आवेदक का उत्पादन संबद्ध वस्तु

के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। अतः आवेदक कंपनियों संबंधित नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग हैं और इस प्रकार संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करती हैं।

### विचाराधीन उत्पाद

4. जूट एक प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल फाइबर है, जो पौधों की आंतरिक छाल से बनता है। जूट के व्यापक प्रयोगों में पैकेजिंग, जिओ-टेक्सटाइल, रूटिंग पौधों के संरक्षण, कपड़ों, थैले, आवरण बूट और जूते की लाइनिंग, फ्यूज यार्न, अप्रेन, कैनल और मोटर लाइनिंग, रस्सी, धागे, अपहोल्स्टरी फाउंडेशन, परदे और सजावटी वस्त्र बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा जूट को उत्तम यार्न और वस्त्र उत्पादन के लिए ऊन के साथ मिलाया भी जा सकता है।

5. गांठों के रूप में कच्चे जूट को हेसियन वस्त्र, बोरों, जूट यार्न/ट्वाइन और अन्य उत्पादों जैसे उत्पादों के उत्पादन के लिए जूट मिलों में तैयार किया जाता है। जूट की विनिर्माण प्रक्रिया में विभिन्न स्तर जैसे किसी बैच के लिए जूट का चयन, उसे काटना, मुलायम बनाना और लुब्रिकेट करना, कडीशनिंग या पाइलिंग, ब्रेकर कार्डिंग, फिनिशर कार्डिंग, फर्स्ट ड्राइंग, सेकंड ड्राइंग, थर्ड ड्राइंग और कताई शामिल हैं।

6. वर्तमान जाँच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) 'जूट उत्पाद' है जिसमें जूट यार्न/ट्वाइन (मल्टिपल फोल्डेड/केबलड और सिंगल), हेसियन वस्त्र और जूट के बोरों जैसे उत्पाद शामिल हैं। 1975 के अधिनियम के अध्याय 53 और 63 के अंतर्गत और इसके अलावा सीमाशुल्क शीर्षों 5301, 5307, 5310 और 6305 के अंतर्गत उप-वर्गीकृत किया जाता है। तथापि, उक्त सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

### समान वस्तु

7. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु, आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयातों और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय है और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए।

### शामिल देश

8. वर्तमान जांच में संबद्ध देश बंगलादेश और नेपाल हैं।

### सामान्य मूल्य

9. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उस कीमत जिस पर संबद्ध देशों के घरेलू बाजारों में इन मर्दों को बेचा जा रहा है के बारे में सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। तथापि कीमतों के संबंध में कोई सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं थी। अतः याचिकाकर्ता ने उत्पादन लागत के अनुमानों को संबद्ध देशों के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके, उनके आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। हेसियन फैब्रिक्स, बोरों और जूट यार्न के लिए अलग से सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है।

### निर्यात कीमत

10. आवेदकों द्वारा निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर प्रस्तावित जाँच अवधि के दौरान भारत आयात कीमत पर विचार करते हुए किया गया है। कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, बैंक प्रभारों, कमीशन, पत्तन और अंतरदेशीय भाड़े के व्यय के लिए निर्यात कीमत को आगे और समायोजित किया गया है।

कारखाना द्वार निर्यात कीमत को हेसियन फैब्रिक्स, बोरों और जूट यार्न के लिए अलग से सामान्य मूल्य को निर्धारित किया गया है।

### पाटन मार्जिन

11. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है तथा इस प्रकार पाटनरोधी जाँच की शुरुआत न्यायोचित सिद्ध होती है।

### क्षति और कारणात्मक संबंध

12. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जिससे संबद्ध देशों के विरुद्ध पाटनरोधी जाँच की शुरुआत सही सिद्ध होती है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देशों से आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में वृद्धि हुई है। इन आयातों से घरेलू कीमतों में कटौती हो रही है और उसके बाद घरेलू कीमतों का काफी अधिक स्तर तक ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। इसके अलावा, लाभों, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ की दृष्टि से घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन में गिरावट आई है और इसलिए उसे वित्तीय घाटे, नकद घाटे और निवेशों पर नकारात्मक आय को झेलना पड़ रहा है।

**जांच अवधि (पीओआई)**

13. वर्तमान जाँच के लिए जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015 तक की है। तथापि क्षति जाँच अवधि में 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 और जांच की अवधि शामिल होगी।

**सूचना प्रस्तुत करना**

14. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए उनकी सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है:-

**निर्दिष्ट प्राधिकारी**  
**पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय**  
**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,**  
**वाणिज्य विभाग**  
**चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,**  
**नई दिल्ली- 110001**

15. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

**समय-सीमा**

16. सभी हितबद्ध पक्षों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नावली के उत्तर और उनकी टिप्पणियां इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजें। यह सूचना मूल प्रतियों और साफ्ट प्रतियों में अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

17. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

**गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना**

18. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अन्य दूसरा सैट (शीर्षक ,सूची ,पृष्ठ संख्या आदि)।

19. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पाँच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

20. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

21. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है ,पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि ,आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

22. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

23. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

24. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

#### **सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण**

25. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

#### **असहयोग**

26. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

### **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**

New Delhi, the 21st October, 2015

#### **INITIATION NOTIFICATION**

**Subject: Anti Dumping investigation concerning imports of “Jute Product” originating in or exported from Bangladesh and Nepal reg.**

**No. 14/19/2015-DGAD.**— Whereas Indian Jute Mills Association (IJMA) (*hereinafter* as “petitioner”) has filed an application before the Designated Authority (*hereinafter* as “the Authority”) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (*hereinafter* as “the Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (*hereinafter* as “the Rules”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty on the imports of “**Jute Product**” (*hereinafter* as “the subject goods”) **originating in or exported from Bangladesh and Nepal** (*hereinafter* as “the subject countries”).

2. And whereas, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries; injury to the domestic industry; and a causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation. The Authority therefore hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the ‘injury’ to the domestic industry.

#### **Domestic Industry & Standing**

3. The application has been filed by Indian Jute Mills Association on behalf of the domestic producers of the product under consideration. There are 34 producers of the product under consideration in India who are members of IJMA. 15 Indian producers have expressly supported the petition and have provided injury information. Further, 14 companies have supported the petition. The production of the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production of the subject goods. The applicant companies therefore constitute “domestic industry” within the meaning of Rule 2 (b) and thus satisfy the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

#### **Product under consideration (PUC)**

4. Jute is a natural and an eco-friendly fiber, which comes from the inner bark of plants. The broad usages of jute include packaging, geo-textiles, protection of rooting plants, making of cloths, bags, wrapping, boot and shoe lining, fuse yarns, aprons, canal and motor linings, ropes, strings, upholstery foundation, curtains and furnishing fabrics etc. Further, Jute can also be mixed with wool for fine yarn and fabric production.

5. Raw jute in the form of bales is processed in jute mills to produce products like hessian fabric, sacking bags, jute yarn/twine and other products. The manufacturing process of Jute entails different stages such as selection of jute for a batch, piecing up, softening and lubricating, conditioning or piling, breaker carding, finisher carding, first drawing, second drawing, third drawing and spinning.

6. In the present investigation, the PUC is “Jute Products” comprising of Jute yarn/twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabrics, and Jute sacking bags. These are classified under Chapters 53 and 63 of the 1975 Act and further sub- classified under custom heads 5301, 5307, 5310 and 6305. The said Customs classification is however only indicative and is in no way binding on the scope of the present investigation.

**Like Article**

7. The petitioner has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences in the physical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules.

**Subject Countries**

8. The subject countries in the present investigation are Bangladesh and Nepal.

**Normal Value**

9. The petitioner has claimed that efforts were made to get information about the price at which these items are being sold in the domestic markets of the subject countries. However, no information on the prices was available publicly. The petitioner has, therefore, constructed the normal value on the basis of the estimates of cost of production duly adjusted for the subject countries. The normal value has been determined for Hessian fabrics, sacking bags and Jute yarn separately.

**Export Price**

10. The applicant has determined the export price based on DGCI&S transaction wise import data, considering weighted average of the imports prices during the proposed investigation period. The export prices have been further adjusted for ocean freight, marine insurance, bank charges, commission, port and inland freight expenses to evaluate ex-factory export price.

The ex factory export price has been determined for Hessian fabrics, sacking bags and Jute yarn separately.

**Dumping Margin**

11. The normal values have been compared with the ex-factory export prices, which shows a considerable dumping margin in respect of the subject goods exported by the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

**Injury and Causal Link**

12. The petitioner has claimed that domestic industry has suffered material injury from dumped imports to justify the initiation of an anti-dumping investigation against the subject countries. The petitioner claims that the imports from the subject countries have increased in absolute terms and in relation to the production and consumption in India during the injury period. These imports are undercutting the domestic prices and thereafter have suppressed and depressed the domestic prices to a significant level. Further, the performance of the domestic industry has also deteriorated in terms of profits, return on capital employed and cash profits, and is therefore suffering financial losses, cash losses and negative return on investments.

**Period of Investigation (POI)**

POI for the purpose of the present investigation is from 1st April, 2014 to 31st March, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods of 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 and the POI.

**Submission of Information**

13. The known exporters in the subject countries, the governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce  
4th Floor, Jeewan Tara Building, 5, Parliament Street, New Delhi

14. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**Time Limit**

15. All the interested parties are hereby advised to file their questionnaire responses and offer their comments in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

16. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record, in accordance with the AD Rules.

**Submission of information on confidential basis**

17. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

18. The “confidential” or “non-confidential” submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

19. For information claimed as confidential, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

20. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

21. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

22. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

23. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

**Inspection of Public File**

24. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

**Non-cooperation**

25. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Designated Authority